

प्रेषक,

भारतीय राज्य,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त,
गढ़वाल एवं कुमाऊ मंडल।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

आपदा प्रबंधन एवं पुर्नवास विभाग

देहरादून, दिनांक/१ अगस्त, 2011

विषय :- राज्य के प्राकृतिक आपदाओं से संकटग्रस्त विभिन्न ग्रामों के अन्यत्र विस्थापन/पुर्नवास हेतु नीति निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त अथवा भविष्य में ऐसी आपदाओं के प्रति संवेदनशील पाए गये ग्रामों के विस्थापन एवं पुर्नवास के लिए विभिन्न स्तरों से आवेदन पत्र एवं प्रतिवेदन प्राप्त होते रहे हैं। कई ग्रामों में सामान्य स्थलीय निरीक्षण करने पर भू स्खलन आदि से संकट भी दृष्टिगोचर हुए हैं। ऐसे अति संवेदनशील ग्राम जो आसन्न संकट में हैं एवं उनमें बसे संकटग्रस्त परिवारों को अन्यत्र बसाया जाना अपरिहार्य है, को अन्यत्र विस्थापन/पुर्नवास के लिए सक्षम स्तर पर कार्यवाही किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय निमानुसार मार्गनिर्देशों के निर्धारण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उपरोक्तानुसार आसन्न संकट में चिह्नित किये गए परिवारों/ग्रामों में विस्थापन के लिए भूमि चयन, ऐसे परिवारों को राज्य सरकार की ओर से अनुमन्य वित्तीय सहायता एवं अन्य व्यवहारिक कार्यवाहियों को निमानुसार सुनिश्चित किया जाएगा—

- (1) पुनर्वास के लिए मानव निवास हेतु असुरक्षित घोषित किये गये अपेक्षित निवास के यथा सम्भव समीपस्थित सुरक्षित स्थान को चिह्नित किया जाये ताकि विस्थापित परिवार जीवन यापन के लिए अपनी पैत्रिक भूमि पर खेती बाढ़ी कर सकें व अपने परम्परागत व्यवसायों से जीवन यापन कर सकें।
- (2) अपने निवास के निकट में विस्थापन होने की स्थिति में विस्थापित परिवारों के लिए पृथक से सामुदायिक अवसंरचनाये व सुविधा विकसित करने के व्यय से बचा जा सकेंगा।
- (3) विस्थापन पर विचार किये जाने से पूर्व तकनीकी विशेषज्ञों से परामर्श कर उक्त स्थान को मानव निवास हेतु सुरक्षित बनाये जाने के लिए किये जाने वाले सुरक्षात्मक उपायों के विकल्प पर विचार कर लिया जाये।
- (4) पुनर्वास योजना बनाते समय प्रभावित परिवारों को विश्वास में लिया जाय एवं याजना के हर भाग में उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जाये।

- (5) मानव विकास हेतु असुरक्षित व अनुपयुक्त भू भाग का सर्वेक्षण उपरान्त संबंधित मानचित्रों पर स्पष्ट चिन्हांकन करवा लिया जाये और इस संबंध में पूरे समुदाय को विश्वास में लेते हुये उक्त की सूचना सार्वजनिक कर दी जाये ताकि भविष्य में इस संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद न हो।
- (6) उक्त चिन्हित स्थान के मानव निवास हेतु अनुपयुक्त व असुरक्षित होने के संबंध में संबंधित भूगर्भीय विभाग के सक्षम स्तरीय अधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाये।
- (7) उक्त चिन्हित स्थान की परिधि में वर्तमान में स्थायी रूप से निवास करने वाले समस्त व्यक्तियों की परिवारवार सूची तैयार कर ली जाये व विस्थापन हेतु उनकी लिखित सहमति प्राप्त कर ली जाये। इस सूची के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम के हर परिवार से संबंधित सूचनाएं निम्न लिखित प्रारूप पर एकत्रित की जाये:-
- (क) प्रभावित क्षेत्र में स्थायी रूप से निवास व व्यवसाय करने वाले परिवारों की संख्या एवं प्रति परिवार सदस्य संख्या।
 - (ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या।
 - (ग) परिवार की परिभाषा से आच्छादित न होने वाले व्यक्तियों का विवरण जैसे की अपंग, विधवा, बुजुर्ग, बेसहारा, अनाथ व्यक्ति व अन्य।
 - (घ) भूमिहीन परिवारों की संख्या।
 - (च) उनके वर्तमान व्यवसाय व आय/संपत्ति का सूक्ष्म विवरण।
- (8) उपरोक्तानुसार नीचे दिये गये मानकों के आधार पर चिन्हित परिवारों के पुर्नवास हेतु आवश्यक भूमि के परिमाप का निर्धारण कर लिया जाये। इस निर्धारण में स्थानीय स्तर पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखा जाना अत्यन्त आवश्यक है।
- (9) विस्थापन के समीपस्थि रित्त उक्त परिमाण की उपयुक्त भूमि का चिन्हांकन करते हुए उक्त के निकट भविष्य में किसी आपदा से प्रभावित न होने के संबंध में आश्वस्त हुआ जाये ताकि निकट भविष्य में इन विस्थापित परिवारों के पुर्नवास पर सहमति के संबंध में सक्षम स्तरीय अधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र लिया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- (10) विस्थापन हेतु चिन्हित उक्त भूमि के प्रकार को निर्दिष्ट किया जाये, जैसे कि:
- (क) निजी भूमि
 - (ख) राजस्व भूमि
 - (ग) पंचायत भूमि
 - (घ) अन्य
 - (च) जहां आवश्यकता हो वहां परिवारों के विस्थापन हेतु वन विभाग की भूमि अधिग्रहित की जाए एवं विस्थापित परिवारों की अनुपयुक्त भूमि (असुरक्षित भूमि) वन विभाग को हस्तांतरित की जाए।
- (11) विस्थापन हेतु चिन्हित परिवारों की उक्त चिन्हित स्थान पर पुर्नवास हेतु लिखित सहमति प्राप्त कर ली जाये।
- (12) आपदा प्रभावित ग्राम की ग्राम पंचायत की सहमति तथा यदि विस्थापन अन्य ग्राम सभा की भूमि पर होता है तो उस ग्राम सभा की सहमति प्राप्त कर ली जायेगी।
- (13) अधिसूचना द्वारा उक्त चिन्हित भूमि के अधिग्रहण/हस्तांतरण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये।
- (14) विस्थापन के उपरान्त सामुदायिक सुविधाओं की आवश्यकता होने पर उक्त पर होने वाले व्यय का विस्तृत आंकलन तैयार करवा लिया जाये तथा उन्हें राज्य व केन्द्र की संगत योजनाओं से आच्छादित

करने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए आगामी 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी कुछ प्राविधान करा लिये जाए। इसे योजना में समिलित करने के लिए अलग से प्रस्ताव तैयार कर लिए जाए।

- (15) जिस क्षेत्र/ग्राम का विस्थापन किया गया है उससे संबंधित आबादी क्षेत्र को असुरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाएगा एवं अधिसूचना द्वारा घोषित किये गये क्षेत्र को किसी भी प्रकार के मानव हस्तक्षेप से मुक्त रखे जाने की व्यवस्था की जाये। विशेष रूप से आवास, गौशाला आदि बनाने पर पूर्ण प्रतिबंध रखा जाना चाहिए।
- (16) विस्थापित किये गये परिवारों के मूल निवास स्थान (जो अब मानव निवास हेतु असुरक्षित हो चुका है) पर स्थित भवनों व अन्य अवसंरचनाओं को विस्थापन उपरान्त अनिवार्य रूप से गिराया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना की आशंका न रहे। साथ ही असुरक्षित चिन्हित भूमि को राजस्व/वन विभाग को हस्तान्तरित कर उन्हें स्वामित्व प्रदान किया जाए।
- (17) आपदा प्रभावित क्षेत्र में जिन व्यक्तियों के भवन हैं उन्हें पुनर्वास हेतु चिन्हित स्थान पर भवन निर्माण हेतु निशुल्क भूमि उपलब्ध करवायी जायेगी। भूमि उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इस हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम 250 वर्ग मीटर भूमि उपलब्ध करवायी जायेगी।
- (18) विस्थापित किये जाने वाले परिवारों में से गरीबी की रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) जीवन-यापन करने वाले चिन्हित परिवारों के लिए राज्य व केन्द्र की समय-समय पर संचालित आवासीय योजनाओं के अंतर्गत भवन स्वीकृत किया जायेगा।
- (19) विस्थापित किये जाने वाले प्रत्येक परिवार को जिसका आपदा ग्रस्त क्षेत्र में अपना स्वंय का भवन था, भवन निर्माण हेतु अधिकतम रु 3,00,000/- (रूपये तीन लाख मात्र) की भवन निर्माण सहायता उपलब्ध करवायी जायेगी।
- (20) विस्थापित भू स्वामियों को अपनी कृषि भूमि का उपयोग न कर पाने की दशा में निर्धारित सर्किल रेट के आधार पर आंकलित उनकी नाप कृषि भूमि के मूल्य के बराबर मूल्य की भूमि अथवा निर्धारित मूल्य उपलब्ध करवाये जाने का यथा सम्भव प्रयास किया जायेगा।
- (21) कृषि भूमि के स्थान पर बंजर भूमि दिये जाने की स्थिति में ऐसे परिवारों को बंजर भूमि के सुधार हेतु न्यूनतम रु 15,000/- प्रति हेक्टेयर की दर से एक मुश्त सहायता दी जायेगी।
- (22) कृषि व बोझा ढोने वाले जानवरों के स्वामित्व वाले विस्थापित परिवारों को इन पशुओं के लिए गौशाला निर्माण हेतु न्यूनतम रूपये 15,000/- प्रति गौशाला की दर से एक मुश्त सहायता प्रदान की जायेगी।
- (23) अपनी व्यक्तिगत वस्तुओं व अन्य को विस्थापन के स्थान पर स्थानान्तरित करने के लिए प्रत्येक विस्थापित परिवार को न्यूनतम रु 10,000/- की दर से विस्थापन भत्ता दिया जायेगा।
- (24) पुनर्वासित होने वाले ग्रामीण दश्तकारों (artisan) एवं अपना स्वंय का व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों को पुनर्वास के स्थान पर व्यवसाय आरम्भ करने के लिए न्यूनतम रु 25,000/- की एक मुश्त सहायता देय होगी।
- (25) उपरोक्त समस्त मदों के अंतर्गत होने वाले सम्भावित व्यय को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी द्वारा, जनपद द्वारा प्रस्तावित समस्त ग्रामों का पृथक-पृथक वित्तीय प्रस्ताव शासन को उपलब्ध करवाया जायेगा।
- (26) विस्थापन हेतु सर्वेक्षण व विस्तृत कार्ययोजना जिलाधिकारी द्वारा तैयार की जाएगी एवं इस कार्य हेतु वह स्वंय उत्तरदायी होंगे। इन कार्यों का समन्वयन एवं अनुश्रवण संबंधित आयुक्त द्वारा किया जायेगा।
- (27) उपरोक्त मार्गदर्शक दिशा निर्देशों के आधार पर जिलेवार कार्यवाही कर विस्तृत आख्या/योजना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम सबसे अधिक संवेदनशील ग्राम/परिवारों को

विस्थापन हेतु चयनित किया जाएगा। अत्यन्त संवेदनशील ग्रामों का विवरण तत्परता से तैयार कर लिया जाए। सामान्यतः ऐसे ग्रामों के लिए कई वर्षों से प्रस्ताव लम्बित है एवं यह समय-समय पर जिला प्रशासन व शासन स्तर पर भी संज्ञान में आते रहते हैं।

- (28) वित्तीय संसाधनों की सीमितता के दृष्टिगत अत्यन्त संवेदनशील ग्रामों/उनके भागों को चिह्नित करने में अत्यंत सावधानी बरती जाए जिससे आसन्न खतरे में आ रहे परिवारों को शीर्षवरीयता के आधार पर इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जा सके। प्राकृतिक आपदाओं से संकटग्रस्त ऐसे ग्रामों जहां जीवन पूर्णतः खतरे में हो, को विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार द्वारा सुसंगत नियमों के तहत विस्थापित किया जाएगा। विस्थापन की प्रक्रिया का कियान्वयन उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की परिधि में रहते हुए सबसे अधिक संवेदनशील/आपदाग्रस्त ग्रामों से प्रारंभ किया जाएगा और तदनुसार प्रक्रिया गतिमान रहेगी।
- (29) प्राकृतिक आपदा के प्रति संवेदनशील/आपदाग्रस्त चिह्नित किये गये ग्रामों के परिवारों की गणना दिनांक 07.07.2011 तक मूल रूप से निवासित परिवारों के आधार पर की जाएगी। तदोपरांत इन चिह्नित ग्रामों में निवास स्थान बनाने वाले व्यक्ति/परिवारों को उपरोक्तानुसार राहत सहायता अनुमन्य नहीं होगी।
- (30) यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय पत्र संख्या-77NP/XXVII(5)/2011 दिनांक 01 अगस्त, 2011 में प्राप्त सहमति के आधार पर निर्गत किया जा रहा है।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अपने अधीन ऐसे ग्राम/परिवारों के संबंध में विशिष्ट कार्ययोजना/परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदाय,

(मास्करानन्द)

अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या-2062 (1)/XVIII(2)/2011-16(1)/2007, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव महामहिम श्री राज्यपाल जी, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा० आपदा प्रबंधन मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. संयुक्त सचिव (डी.एम. डिवीजन), गृह मंत्रालय, भारत सरकार।
6. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. महानिदेशक, सूचना एवं लोकसंपर्क निदेशालय, 12 ई.सी. रोड़ देहरादून।
9. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)

अनु सचिव